ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट नं0–1, नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी(उ0प्र0)

पत्रॉक:–उद्योग / 2019/6000

दिनॉक: 17.01.2019

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 113वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 04.12.2018 के मद संख्या–113 / 10 में अनिर्मित / अक्रियाशील इकाईयों के भूखण्ड हस्तांतरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्न बिन्दुओं के आधार पर अनिर्मित / अक्रियाशील इकाईयों के भूखण्ड हस्तांतरण का अनुमोदन प्रदान किया गया:–

(I). पूर्व में आवंटित अनिर्मित / अक्रियाशील भूखण्डों / इकाईयों को समस्त देय (समय विस्तरण शुल्क सहित) जमा कराने के उपरान्त वर्तमान प्रचलित दर का 30 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर शुल्क प्राप्त करते हुए हस्तान्तरण की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(II). भूखंण्ड के सापेक्ष हस्तांतरण तिथि तक देय समस्त देयता एवम दण्ड धनराशि(समय विस्तरण सहित) जमा करना होगा।

(III). उपरोक्त रिति से हस्तान्तरित भूखण्ड का हस्तान्तरण प्रथम बार ही अनुमन्य होगा इसके पश्चात निर्मित / क्रियाशील होने पर ही हस्तान्तरण की अनुमान्यता होगी।

(IV) उपरोक्त रिति से हस्तान्तरित इकाईयॉ / भूखण्डों को निर्माण / क्रियाशीलता हेतु नवीन आवंटन के समान समय अवधि प्रदान की जायेगी।

(V) उक्त हस्तान्तरण की सुविधा 06 माह के लिए ही प्रदान होगी।

(VI) उक्त भूखण्ड हस्तान्तरण से पूर्व यदि एक मुश्त लीज रेन्ट जमा नहीं है तो अंतरिकी द्वारा वर्तमान प्रचलित दर के अनुसार 2.5 प्रतिशत लीज रेन्ट देय होगा।

उक्त आदेश प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

(अनिल कुमार शर्मा)
उप महाप्रबन्धक(उद्योग)

प्रतिलिपि:–

1 स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ ।

2 स्टाफ आफीसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(के0) महोदय के सूचनार्थ ।

3 वैयक्तिक सहायक को विशेष कार्याधिकारी (एस0के0) महोदय के सूचनार्थ ।

4 प्रबन्धक उद्योग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

5 प्रबन्धक सिस्टम को इस आशय से कि जन समान्य के सूचनार्थ उक्त आदेश को ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दें ।

6 गार्ड फाईल।

17/01/19

उप महाप्रबन्धक(उद्योग)